

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, तारीख : 2017

सा.का.नि. . . . . राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और डा0 राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली (समूह 'ग') भर्ती नियम, 1986 को, जहां तक उनका संबंध चिकित्सा अभिलेख तकनीशियन के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, डा0 राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली, चिकित्सा अभिलेख तकनीशियन के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम डा0 राम मनोहर लोहिया अस्पताल, चिकित्सा अभिलेख तकनीकी, (समूह 'ग' पद), भर्ती नियम, 2017 है ।  
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मेट्रिक्स में लेवल -** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन मेट्रिक्स में लेवल वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।
3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि -** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।
4. **निरर्हता :** वह व्यक्ति-
  - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है ;
  - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है ;उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :  
परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।
5. **शिथिल करने की शक्ति :** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।
6. **व्यावृत्ति :** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

## अनुसूची

| पद का नाम                | पदों की संख्या                                                       | वर्गीकरण                                              | वेतन मेट्रिक्स में लेवल                    | चयन अथवा अचयन पद | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|
| (1)                      | (2)                                                                  | (3)                                                   | (4)                                        | (5)              | (6)                                                 |
| चिकित्सा अभिलेख तकनीशियन | 05 *<br>(2016)<br><br>*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित अननुसचिवीय | वेतन मेट्रिक्स (25500-81100रू.) में लेवल 4 | अचयन             | लागू नहीं होता।                                     |

|                                                                              |                                                                                                                             |                               |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं। | परिचीक्षा की अवधि यदि कोई हो। |
|                                                                              | (7)                                                                                                                         | (9)                           |
| लागू नहीं होता ।                                                             | (8)                                                                                                                         | लागू नहीं होता ।              |

|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता। | प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।                                  |
| (10)                                                                                                                                                     | (11)                                                                                                                                                |
| प्रोन्नति द्वारा ।                                                                                                                                       | प्रोन्नति : डा0 राम मनोहर लोहिया अस्पताल में ऐसे चिकित्सा अभिलेख सहायक के पद से जिन्होंने वेतन मेट्रिक्स में लेवल 2 में आठ वर्ष नियमित सेवा की हो । |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।</p> | <p>यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>(13)</p>                                                                         | <p>(12)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>लागू नहीं होता ।</p>                                                             | <p>विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति/पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. चिकित्सा अधीक्षक, डा0 राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली - अध्यक्ष</li> <li>2. उप निदेशक, चिकित्सा अस्पताल अनुभाग, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य</li> <li>3. उप निदेशक, प्रशासन, डा0 राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली - सदस्य</li> </ol> |

[ फा.सं. ए. 11018/03/2006 - आर आर ]

( संजय पंत )

अवर सचिव, भारत सरकार

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, तारीख :

2017

सा.का.नि. . . . . राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और डा0 राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली (चिकित्सा अभिलेख सहायक) भर्ती नियम, 1985 को, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, डा0 राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली, चिकित्सा अभिलेख सहायक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम डा0 राम मनोहर लोहिया अस्पताल, चिकित्सा अभिलेख सहायक (समूह 'ग' पद), भर्ती नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मेट्रिक्स में लेवल** - उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड और वेतन मेट्रिक्स में लेवल वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि** - उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता** : वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है ;

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है ;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति** : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति** : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

## अनुसूची

| पद का नाम             | पदों की संख्या | वर्गीकरण                                              | वेतन मेट्रिक्स में लेवल                                  | चयन अथवा अचयन पद | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|----------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)                   | (2)            | (3)                                                   | (4)                                                      | (5)              | (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| चिकित्सा अभिलेख सहायक | 10 *<br>(2016) | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित अन्नसचिवीय | वेतन मेट्रिक्स में लेवल (रु. 19900 -रु.63200) में लेवल-2 | चयन              | 18 और 25 वर्ष के बीच<br><br>(केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)<br><br>टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) |

| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं। | परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <p>(7)</p> <p>आवश्यक:</p> <p>(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण ;</p> <p>(ii) चिकित्सा अभिलेख तकनीकी प्रशिक्षण का प्रमाणपत्र ।</p> <p>(iii) कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति (10500 बटन प्रति घंटे के अनुरूप 35 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट, या प्रत्येक शब्द के लिए 5 बटन दबाने की औसत पर 9000 बटन) ।</p> <p>टिप्पण 1 - अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं कर्मचारी चयन आयोग सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं ।</p> <p>टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हताएं उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है ।</p> | <p>(8)</p> <p>आयु - नहीं ।<br/>अर्हता - हां ।</p>                                                                           | <p>(9)</p> <p>सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष ।</p> |

|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।</p> | <p>प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।</p>                                                |
| <p>(10)</p>                                                                                                                                                     | <p>(11)</p>                                                                                                                                                              |
| <p>प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।</p>                                                                                                 | <p>प्रोन्नति : वेतन मेट्रिक्स में लेवल 1 में तीन वर्ष नियमित सेवा करने वाले समूह 'ग' कर्मचारियों में से जिनके पास स्तम्भ (7) में सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हता हो ।</p> |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना</p> <p>(12)</p> <p>विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति/पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. चिकित्सा अधीक्षक, डा0 राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली - अध्यक्ष</li> <li>2. उप निदेशक, चिकित्सा अस्पताल अनुभाग, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य</li> <li>3. उप निदेशक, प्रशासन, डा0 राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली - सदस्य</li> </ol> | <p>भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।</p> <p>(13)</p> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>लागू नहीं होता ।</p>                                                                         |

[ फा.सं. ए. 11018/03/2006 - आर आर ]

( संजय पंत )

अवर सचिव, भारत सरकार